समग्र शिक्षा अभियान
(सेकेण्डरी एज्यूकेशन)

क्रमांक/समग्र/2025-26/ 3715 भोपाल, दिनांक - 14/10/2025

प्रति,

1. **प्राचार्य डाइट,**
   समस्त जिले, मध्यप्रदेश
2. **जिला शिक्षा अधिकारी**
   समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषय: EQIP-LEP के अंतर्गत शिक्षकों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के दक्षता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु।

NEP 2020 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करना तथा उन्हें आधुनिक समय के जीवन के अनुकूलित करना प्रावधानित है। NEP 2020 की मंशानुसार, प्रदेश के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल शिक्षण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम **10 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक** प्रतिदिन सभी जिलों में आयोजित किया जाना है। इस प्रशिक्षण का समन्वय DEO/ADPC द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षण स्थल DIET अथवा DEO/ADPC द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण स्थल रहेगा।

इस जिला स्तरीय एक दिवसीय गैर-आवासीय प्रशिक्षण हेतु जिले के प्रत्येक हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूल से 1-1 शिक्षक का चयन कर प्रशिक्षण हेतु जिलेवार, तिथिवार प्रशिक्षणार्थियो की सूची एजेंसी को तथा लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 17.10.2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. **AI प्रशिक्षण की विषयवस्तु:**
   - 1.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मूलभूत अवधारणाएं एवं परिभाषाएं।
   - 1.2. शिक्षा में AI का उपयोग उदाहरण सहित स्पष्टता।
   - 1.3. AI आधारित शिक्षण सामग्री और टूल्स का परिचय।
   - 1.4. AI के उपयोग से पाठ योजना एवं मूल्यांकन में सुधार के तरीके।
   - 1.5. प्रायोगिक सत्र: AI टूल्स का उपयोग एवं लाइव डेमो।
   - 1.6. विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता और रचनात्मक सोच बढ़ाने के उपाय

2. प्रशिक्षण से संबंधित एजेंसी के कार्य : -

- 2.1. एजेंसी से तात्पर्य EdCIL (India) Limited से है। प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण समन्वयकों की नियुक्ति, आदि कार्य।
- 2.2 इस एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए लंच, चाय, पीने के पानी, फोल्डर, पेन, नोटबुक, आदि की व्यवस्था करना।
- 2.3. प्रशिक्षण समापन के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान करना।
- 2.4. प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस की उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स का रिकॉर्ड रखा जाना।
- 2.5. समापन के बाद समस्त रिपोर्टिंग विभागीय प्रारूप में प्रस्तुत करना।

3. प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश – (डाइट प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के कार्य):

Scanned with OKEN Scanner

3.1. DEOs/ADPCs द्वारा प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का चयन करके उन्हे प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु आदेश प्रदाय किया जाएगा। आदेश में चार्ज किया टैबलेट साथ लाने, टैबलेट में इंटरनेट कनेक्शन एवं आवश्यक ऐप्स (ChatGPT, NotebookLM, Google Gemini, Microsoft Copilot) इंस्टॉल करने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

3.2. प्रशिक्षण स्थल डाइट होगा। डाइट में अवसंरचना की व्यवस्था न होने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना (एलसीडी प्रोजेक्टर, माइक, स्पीकर, इंटरनेट सुविधा, आदि) की व्यवस्था DEOs/ADPCs द्वारा की जाएगी। । उपर्युक्त पर आने वाला वित्तीय भार प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा

3.3. प्रशिक्षण समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा, जिसका पंजीयन प्रातः 9:30 बजे से 10:00 बजे तक किया जायेगा। **एक बैच में (प्रतिदिन) अधिकतम 45 से 50 प्रतिभागी** होंगे। इसी अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी करेंगे।

3.4. जिन जिलों में डाइट नहीं है, वहां प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था DEOs/ADPCs द्वारा की जाए।

3.5 प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति ऑफ लाइन के साथ-साथ ई-अटेंडेंस के माध्यम भी दर्ज की जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार समय-सीमा में प्रशिक्षण आयोजित करें।

(मनीषा सेंतिया)
अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा(सेकेंडरी एजुकेशन)
लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/समग्र/2025-26/3716 भोपाल, दिनांक - 14/10/2025

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग को सूचनार्थ।
2. राज्य परियोजना संचालक संचालक समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, समस्त संभाग म.प्र. को सूचनार्थ।

अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा(सेकेंडरी एजुकेशन)
लोक शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned with OKEN Scanner